



42/2020

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी पप्पू सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे ताया श्री नत्था सिंह पुत्र डोगर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 10.01.2007 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका अधिवाहित रहते हुए दिनांक 30.11.2008 को हो गया था और प्रार्थी ही नत्था सिंह का एकमात्र वारिस है। (वारिसनामा संलग्न) उनके द्वारा दिनांक 10.01.2007 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

उल्लेखनीय है कि नत्था सिंह पुत्र डोगर सिंह द्वारा दिनांक 10.01.2007 को करवायी बंद वसीयत का जब अवलोकन किया गया तो पाया गया कि यह बंद वसीयत पूर्व में दिनांक 24.03.2009 को हरमन सिंह पुत्र पप्पू सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत बंद वसीयत को खोल जाकर उसपर तहरीर लिखी गयी थी परन्तु कर्मचारी एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

11/08/2020

4

गी
र
शे
प्रा
न.
थी
र
प
ती
+रीद